

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15064/2024

- ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली, ग्राम झरना, महिला जोबनेर लिंक रोड, एनएच-8, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर (राजस्थान) इसके रजिस्ट्रार डॉ. हेमा बाफिला, डी/ओ श्री के माध्यम से। भगवान सिंह बाफिला, उम्र लगभग 33 वर्ष।
- आयुर्वेदिक विज्ञान संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय, वेदांत ज्ञान घाटी, ग्राम झरना, महिला जोबनेर लिंक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर (राजस्थान) इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. हेमा बाफिला, पुत्री श्री भगवान सिंह बाफिला, आयु लगभग 33 वर्ष के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, सचिव के माध्यम से, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
- राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट संख्या टी-19, प्रथम एवं द्वितीय तल, ब्लॉक-IV धनवंतरी भवन, रोड संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026।
- अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (मार्बिज्म), प्लॉट नंबर टी-19, प्रथम और द्वितीय तल, ब्लॉक-IV, धनवंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026।
- राजस्थान आयुष स्नातक-पीजी परामर्श बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, आयुष भवन, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री प्रत्युषी मेहता, श्री वेदांत अग्रवाल,
श्री नीतीश जोशी के साथ

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/658/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:37:58 बजे डाउनलोड किया गया)

उत्तरदाता के लिए : सुश्री सोनिया शांडिल्य
श्री अक्षत शर्मा के साथ
सुश्री मंजीत कौर
सुश्री हर्षिता शर्मा
डॉ. महेश शर्मा के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झांगन

आदेश

11/12/2024

- यह याचिका भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 23.08.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, अधिनियम 2008 के तहत प्रख्यापित एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस (बी.ए.एम.एस.) के पाठ्यक्रम के लिए एक संस्थान (याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में वर्गीकृत) की स्थापना की। याचिकाकर्ता को साठ छात्रों के प्रवेश की सुविधा दी गई थी। वर्तमान याचिका में विवाद शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों से संबंधित है। संस्थान का निरीक्षण 22/23.02.2024 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से किया गया था। निरीक्षण दल की राय थी कि साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीस सदस्यों की आवश्यक फैकल्टी मौजूद नहीं थी और सात संकाय सदस्य केवल कागजों पर थे। निरीक्षण के अनुसरण में, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 07.08.2024 जारी किया गया था, (ii) आउटडोर रोगी विभाग (ओपीडी), इनडोर रोगी विभाग (आईपीडी) और पंचकर्म क्षारसूत्र गैर कार्यात्मक थे और (iii) स्त्री रोग विभाग में कोई प्रसव नहीं हुआ क्योंकि उपस्थित रोगियों की संख्या शून्य थी। याचिकाकर्ता ने एससीएन का जवाब दिया और बायोमेट्रिक उपस्थिति, संकाय की समूह तस्वीरें प्रस्तुत कीं। बोर्ड ने भारतीय चिकित्सा (न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 (संक्षेप में '2016 के विनियम') की अनुसूची V पर भरोसा करते हुए आदेश दिया, जिससे संस्थान की प्रवेश क्षमता में 130% की कमी आई। इसके अलावा

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/658/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:37:58 बजे डाउनलोड किया गया)

तीन विभागों की गैर-कार्यक्षमता के कारण 30% की कमी की गई। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सशर्त अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन कमियों की पूर्ति पर, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुमति पर विचार किया जाना था।

3. 22.10.2024 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने और संकायों की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने का लिखित वचन देने की शर्त पर स्थगन प्रदान किया। प्रतिवादियों द्वारा अपील में अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई और एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी गई। 05.12.2024 को, खंडपीठ ने पक्षकारों के वकीलों को रिटों के अंतिम निपटान हेतु अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की, क्योंकि परामर्श 20.12.2024 को समाप्त हो जाएगा।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 को परामर्श की अनुमति दी और न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने से पहले ही तीस से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है।

5. दिनांक 10.12.2024 को विस्तृत बहस सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. वर्तमान याचिका में विवाद शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित है। 22-23.02.2024 को आयोजित निरीक्षण के आधार पर, अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवश्यक तीस संकाय सदस्यों में से केवल चौदह ही उपलब्ध थे। भारतीय चिकित्सा (न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 की अनुसूची (V) के अनुसार, (संक्षेप में '2016 के विनियम') प्रवेश क्षमता से 130% यानी प्रत्येक लापता संकाय के लिए 10% की कमी की गई थी और प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे की उचित कार्यक्षमता नहीं होने के कारण 30% की कमी की गई थी।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 को परामर्श की अनुमति दी और न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने से पहले ही तीस छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क यह है कि 2016 के विनियमों के अनुसार, संकाय सदस्यों की उपस्थिति बायोमैट्रिक द्वारा दर्ज की जानी है। निरीक्षण के दिन अनुपस्थित

संकाय सदस्यों के अवकाश पर होने की पुष्टि के लिए विधिवत अभिलेख प्रस्तुत किए गए। इस पहलू पर विचार किए बिना 130% की कटौती का आदेश दिया गया क्योंकि प्रतिवादी का आग्रह गूगल मैप, गूगल टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज पर था, जिसका न तो अधिनियम में और न ही विनियमों में उल्लेख है।

4. शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउंसलिंग 20.12.2024 को समाप्त हो रही है और याचिका के लंबित रहने के कारण तीस छात्रों का भविष्य दांव पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवेश चाहने वाले छात्रों को परेशानी न हो, व्यावहारिक समाधान यह होगा कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा प्रवेश प्राप्त तीस छात्रों को वैकल्पिक काउंसलिंग कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति दें और सफल होने पर, इन छात्रों को याचिकाकर्ता संस्थान में आवंटित किया जाएगा।

5. इस स्तर पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील निर्देश प्राप्त करने के लिए समय चाहते हैं।

6. इसे कल यानि 11.12.2024 को 'प्रथम केस' के रूप में प्रस्तुत करें।

6. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील ने प्राप्त विशिष्ट निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रवेश दिए गए छात्रों को वैकल्पिक संस्थान के लिए परामर्श दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि याचिकाकर्ता संस्थान को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सशर्त अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है तो छात्रों को नुकसान न हो।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि 2016 के विनियमों और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 (संक्षेप में '2020 का अधिनियम') के अनुसार, संकाय की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा बनाए रखी जानी थी और आवश्यक कार्य किया गया था। शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों के साथ दायर प्रतिक्रिया पर विचार नहीं किया गया। नॉन-स्पीकिंग आदेश पारित करके, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सशर्त अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। आगे तर्क दिया गया है कि एससीएन के अनुसार, बोर्ड नियमित संकायों की संख्या को प्रमाणित करने के लिए गूगल टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज पर जोर दे रहा था, जबकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। तर्क यह है कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा वैधानिक प्रावधानों का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/658/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:37:58 बजे डाउनलोड किया गया)

8. उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास 2020 के अधिनियम की धारा 9(6), 10 (जी) और 24 के तहत अपील का वैकल्पिक उपाय है। यह तर्क दिया गया है कि मेडिकल छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान द्वारा एक मानक बनाए रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता संस्थान संकाय सदस्यों की अपेक्षित संख्या प्रदर्शित करने के लिए कागजी औपचारिकताएं कर रहा था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सशर्त अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिया गया है और हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश (2010) 8 एस.सी.सी 372 में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

9. उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के वकीलों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, अस्वीकार किया जाता है। वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता एक स्व-लगाया गया प्रतिबंध है और यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई एवं अन्य (1998) 8 एस.सी.सी 1 और गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण एवं अन्य (एआईआर 2023 एससी 781) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया जाता है। रिट न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अपवादों के अंतर्गत आने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, जिनमें से एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

10. विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं, उन पर विचार नहीं किया गया। आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार करने का कोई तर्क नहीं है।

11. बहस के दौरान, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (न्यूनतम मानक) विनियम, 2024 (संक्षेप में '2024 के विनियम') के अनुसार सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य है। यह कहना पर्याप्त है कि विनियम 2024 01.05.2024 से लागू हुए, जबकि संस्थान का निरीक्षण फरवरी, 2024 में किया गया था।

12. याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि एसओपी वैधानिक प्रावधान के दायरे को नहीं बढ़ा सकता, पर बोर्ड द्वारा न तो विचार किया गया और न ही उस पर विचार किया गया।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/658/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:37:58 बजे डाउनलोड किया गया)

13. यह विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सिविल परिणामों वाले प्रशासनिक निर्णयों पर भी लागू होते हैं। आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को कारणों को दर्ज करना होगा और प्रभावित पक्ष को सूचित करना होगा।
14. प्रवेश क्षमता में 130% की कमी आवश्यक संख्या में संकाय सदस्यों की अनुपलब्धता के आधार पर की गई है। 30% की कमी निष्क्रिय विभागों के कारण है। दूसरे शब्दों में, यदि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल हो जाता है कि आवश्यक संख्या में संकाय सदस्य उपलब्ध हैं, लेकिन निष्क्रिय विभागों के आधार पर असफल हो जाता है, तो प्रवेश क्षमता में 30% यानी अठारह छात्रों की कमी हो सकती है।
15. पारित किया गया असंबद्ध आदेश न केवल याचिकाकर्ता संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित करता है।
16. प्रतिवादियों के वकील द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है कि शैक्षणिक मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। उच्च न्यायालय किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए निर्णय पर स्वयं को अपीलीय प्राधिकारी नहीं बनाएगा, लेकिन रिट अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जाँच करना हमेशा खुला रहता है। बसवैया (डॉ.) (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहना व्यर्थ है। जैसा कि वर्तमान मामले में है, पारित किया गया विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
17. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया जाता है।
18. यह ध्यान में रखते हुए कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की काउंसलिंग 20.12.2024 को समाप्त हो रही है, इस मामले में समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों को 13.12.2024 को सुबह 11 बजे बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।
19. बोर्ड इस मामले को शीघ्रता से, यदि संभव हो तो 20.12.2024 से पहले, निर्णय लेने का ईमानदार प्रयास करेगा।
20. यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को कोई नुकसान न हो, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों को उनकी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/658/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:37:58 बजे डाउनलोड किया गया)

योग्यता के अनुसार वैकल्पिक संस्थान में काउंसलिंग का अवसर दिया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि याचिकाकर्ता मुकदमे में असफल हो जाता है, तो याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों को निराश न होना पड़े।

21. यह प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का दायित्व होगा कि वे प्रभावित छात्रों से संपर्क करें और उन्हें इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में की जा रही व्यवस्था के संबंध में सूचित करें, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 सहमत हैं।

22. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

23. आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 के वकील को उपलब्ध कराई जाए।

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत /106

क्या रिपोर्ट योग्य है:हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate